नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी : सरोज ढाका, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 89 / 14

1 सूरजमल आत्मज श्री देवा
2 रामलाल आत्मज देवा
3 लक्ष्मी बाई पुत्री श्री देवा
4 किशनी बाई बेवा श्री देवा
जाति बलाई, निवासीगण पीपल्दा शेखान, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादीगण)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(प्रतिवादी)

वाद वास्ते घोषणा, खातेदारी
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 19.06.2019

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में निवेदन किया गया कि ग्राम पीपल्दा शेखान, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 26 की 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 की 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 38 की 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 की 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 की 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 की 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 की 1.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 75 की 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 की 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 95 की 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 की 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 200 की 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 211 की 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 212 की 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 213 की 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 की 0. 30 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 235 की 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 की 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 की 0.79 हैक्टर कुल किता 20 की 10.75 हैक्टर आराजी स्थित है।

उपरोक्त आराजीयात सहखातेदारी में है जिसमें वादीगण के पिता देवा आत्मज श्री सुक्खा एवं गणेश पुत्र सुक्खा का 1/2 हिस्सा निहित है। इस प्रकार उपरोक्त सहखातेदारान की आराजी में देवा का 1/4 हिस्सा निहित है। वादीगण के पिता देवा पुत्र सुक्खा का देहावसान दिनांक 17.04.2012 को हो गया है तथा वादीगण ही उनके विधिक वारिसान है इसलिये उपरोक्त आराजी में देवी (मृतक) के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज खाता होना चाहिये। अन्य खातेदारान को इस वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि उनके विरूद्ध कोई सहायता वादीगण द्वारा नहीं चाही गई है।

देवा आत्मज श्री सुक्खा का देहान्त हो गया है। इस कारण वादीगण द्वारा तहसीलदार, लाडपुरा को दिनांक 20.08.2015 को एक प्रार्थना पत्र देवा (मृतक) के स्थान पर जर्ये फोती

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

इन्तकाल अपना नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड में कराने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया लेकिन तहसीलदार द्वारा वादीगण का नाम देवा (मृतक) के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है। वाद कारण दिनांक 20.08.2015 को तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा को देवा (मृतक) के स्थान पर वादीगण का फोती इन्तकाल खोलने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर एवं तहसीलदार द्वारा फोती इन्तकाल नहीं खोलने पर इस सम्माननीय न्यायालय की अधिकार सीमाओं में उत्पन्न हुआ। उक्त सहायता के लिये वादीगण ने प्रस्तुत वाद के अतिरिक्त अन्य कोइ वाद पत्र इस सम्माननीय न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद प्ररतुत नहीं किया है और न ही विचाराधीन है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को वादपत्र की मद में वर्णित आराजी देवा (मृतक) के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम पीपल्दा शेखान, पटवार हल्का ताथेड, जिला कोटा की विवादित आराजी के खाता संख्या नया 31 व पुराना 35 की नकल जमाबन्दी पेश की गई है।

3. प्रतिवादी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि राजस्व रिकार्ड में देवा, गणेश पुत्र सुक्खा के किता 20 रकबा 10.75 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है अर्थात देवा का हिस्सा 1/4 व गणेश का 1/4 दर्ज रिकार्ड है।

सुक्खा के तीन पुत्र क्रमशः 1–मोड्या, 2–टोड्या, 3–बूड्या उर्फ बूच्चा व तीन पुत्रियां 1–मंगली, 2–छोटी, 3–गणेशी व बेवा फूलीबाई थी, जिसमें से बूड्या उर्फ बूच्चा जीवित है। शेष की मृत्यु हो चुकी है। मोड्या पुत्र सुक्खा के दो पुत्र देवा, गणेश, दो पुत्रियां बिरधी व अनोख व बेवा पांची बाई थी। इस प्रकार देवा, गणेश का पिता मोड्या था अर्थात सुक्खा, देवा व गणेश के दादा थे। इस प्रकार खाते में देवा, गणेश के पिता का नाम सुक्खा दर्ज हो रहा है जबकि देवा, गणेश का पिता मोड्या है। पिता का नाम गलत दर्ज है। जमाबन्दी में खाता संख्या 35 में देवा, गणेश पुत्र सुक्खा दर्ज है जबकि सही नाम देवा, गणेश पुत्र मोड्या ही होना चाहिये।

4. प्रकरण के दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –
(क) आया विवादित आराजी में देवा, गणेश पुत्र सुक्खा दर्ज हो रहा है, जो गलत है। (वादीगण)
(ख) आया विवादित आराजी में देवा का 1/4 हिस्सा निहित है। (वादीगण)
(ग) आया वादीगण देवा के हिस्से की आराजी को अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। (वादीगण)
(घ) अनुतोष

5. प्रकरण के बहस में आने पर वादी वकील की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये विवादित आराजी की जमाबन्दी में देवा, गणेश के पिता का नाम सुक्खा के स्थान पर मोड्या तथा देवा (मुतक) के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण का नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी की ओर से उनके जवाब दावे में अंकित कथनों को ही प्रकरण में बहस मानते हुये प्रकरण का निरस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

6. हमने वादी वकील की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से पेश किये गये जवाब दावा में स्पष्ट किया गया है कि मोड्या पुत्र सुक्खा के दो पुत्र देवा, गणेश, दो पुत्रियां बिरधी व अनोख व बेवा पांची बाई थी। इस प्रकार देवा, गणेश का पिता मोड्या था अर्थात सुक्खा, देवा व गणेश के दादा थे। खाते में देवा, गणेश के पिता का नाम सुक्खा दर्ज हो रहा है जबकि देवा, गणेश का पिता

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

मोड़्या है। पिता का नाम गलत दर्ज है। जमाबन्दी में खाता संख्या 35 में देवा, गणेश पुत्र सुक्खा दर्ज है जबकि सही नाम देवा, गणेश पुत्र मोड़्या ही होना चाहिये। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि देवा, गणेश के पिता का वास्तविक नाम मोड़्या ही है। प्रस्तुत प्रकरण में की विवादित आराजी में देवा का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादीगण की ओर से पेश देवा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के अनुसार देवा पुत्र मोडूलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण, देवा के वारिसान है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर ग्राम पीपल्दाशेखान, पटवार हल्का ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की जमाबन्दी संवत 2071-2075 के खाता संख्या नया 31 में देवा, गणेश के पिता का नाम सुक्खा के स्थान पर मोड़्या दर्ज किये जाने तथा मृतक देवा के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.06.2019 को सरे इलजास सुनाया गया।

(सरोज ढाका), आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा

ACEM(HQ) Kota

Surajmal v/s Sarkar 20.06-2019

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, R.A.S.

बउनवान :–

1 सूरजमल आत्मज श्री देवा
2 रामलाल आत्मज देवा
3 लक्ष्मी बाई पुत्री श्री देवा
4 किशनी बाई बेवा श्री देवा
जाति बलाई, निवासीगण पीपल्दा शेखान, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादीगण)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88 RTA
मुकदमा नम्बर : 126 /15
निर्णय दिनांक : 19-06-2019

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 19–06–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सरोज ढाका, आर. ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर ग्राम पीपल्दाशेखान, पटवार हल्का ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की जमाबन्दी संवत 2071–2075 के खाता संख्या नया 31 में देवा, गणेश के पिता का नाम सुक्खा के स्थान पर मोड्या दर्ज किये जाने तथा मृतक देवा के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 19.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सराज ढाका) आर ए एस
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्र.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner